


फर्द अहकाम

दीपक बनाम सरकार

नाम न्यायालय

केस संख्या

76/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/6/24	<p>पुणवली केस डी वी वी प्रतीक उपस्थित वकील प्रतीक व फस्तावेज पर लिखे शामिल पुणवली डी वी वी प्रतीक डी वी प्रतीक गौर से केस प्राम्पत्र गन्तगीत वारा 136 स्वीकार लिपि जासा है लिखित लिपि प्रत्यत से लिखवाप जाकर शामिल पुणवली लिपि गदा पुणवली फीसल अन्तर्गत डी वी वी से वग वी वी वी प्रतीक शामिल इफ्तार डी</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	



ज
 प्राप्त
 अंगिक
 केस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 76/2023
निर्णय दिनांक : 18.06.2024

1. दीपक शर्मा पुत्र स्व० श्री गिरिजा शंकर शर्मा, आयु 43 वर्ष, जाति- ब्राह्मण, हाल निवासी मकान नम्बर 997, बगरूवालों का रास्ता, चाँदपोल बाजार, जयपुर (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज०)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 संशोधित राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम, 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम- बगरूकलां, पटवार हल्का- बगरूकलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के आराजी के हाल खाता संख्या 1497 के खसरा नम्बर 4636 रकब 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4637 रकब 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4641 रकब 0.4800 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.1300 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1/60 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम- बगरूकलां, पटवार हल्का- बगरूकलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के आराजी के हाल खाता संख्या 1497 के खसरा नम्बर 4636 रकब 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4637 रकब 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4641 रकब 0.4800 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.1300 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम लक्ष्मीकान्त पुत्र गिरिजाशंकर के स्थान पर दीपक शर्मा पुत्र स्व० श्री गिरिजा शंकर शर्मा अंकित किये जाने के आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करे।


पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की पत्रावली में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम- बगरूकलां, पटवार हल्का- बगरूकलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के आराजी के हाल खाता संख्या 1497 के खसरा नम्बर 4636 रकब 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4637 रकब 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4641 रकब 0.4800 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.1300 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

लक्ष्मीकान्त पुत्र गिरजाशंकर के स्थान पर दीपक शर्मा पुत्र स्व० श्री गिरिजा शंकर शर्मा अंकित किये जाने के आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करे।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम-बगरूकलां, पटवार हल्का- बगरूकलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के आराजी के हाल खाता संख्या 1497 के खसरा नम्बर 4636 रकब 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4637 रकब 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4641 रकब 0.4800 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.1300 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम लक्ष्मीकान्त पुत्र गिरजाशंकर के स्थान पर दीपक शर्मा पुत्र स्व० श्री गिरिजा शंकर शर्मा अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हिम्मत सिंह)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर